न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उप सचिव–III)
नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :–एफ–15/कृ.भू.रू./90–क/2015/885 दिनांक :–

प्रेषिति :–

श्रीमान् सचिव,
नगर विकास न्यास,
कोटा।

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन गैर कृषिक आवासीय प्रयोजन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर सहमति बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 31 रकबा 1.42 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 43 रकबा 1.08 हैक्टर भूमि में से 0.31 है0 कुल किता 2 रकबा 2.50 हैक्टर भूमि में से 1.73 हैक्टर भूमि की 90–ए के तहत कार्यवाही बाबत् आवेदक मुख्त्यारआम श्री धनराज पुत्र श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मानपुरा कोटा जर्ये खातेदार श्री घीसाराम व सुखपाल पि. हरदेव एवं हरदेव व श्री छोगा निवासी देवनारायण मन्दिर केशवपुरा, कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त आवेदन की एक प्रति संलग्न पत्र प्रेषित की जा रही है कृपया आवेदन की नियमानुसार जांच कराई जाकर सहमति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र–8 मे भिजवाये जाने का श्रम करे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

प्राधिकृत अधिकारी (उप सचिव–III)
नगर विकास न्यास, कोटा

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उप सचिव–तृतीय), नगर विकास न्यास, कोटा

प्रकरण संख्या :–एफ–15/कृ.भू.रू./90–क/284/2015/900

आवेदक मुख्तारआम श्री धनराज पुत्र श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मानपुरा कोटा जर्ये खातेदार श्री घीसाराम व सुखपाल पि. हरदेव एवं हरदेव पुत्र श्री छोगा निवासी देवनारायण मन्दिर केशवपुरा, कोटा

–::– बनाम –::–

नगर विकास न्यास, कोटा।

विषय :–ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 31 रकबा 1.42 हैक्टरं एवं खसरा नम्बर 43 रकबा 1.08 हैक्टर में से 0.31 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 2.50 हैक्टर में से 1.73 हैक्टर भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा प्रदान करने बाबत्।

–::– आदेश –::–

(अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क)

दिनांक 21 – नवम्बर, 2015

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

(1) उपरोक्त आवेदक द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के तहत निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया गया। आवेदित भूमि निम्न प्रकार है :–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर एवं रकबा हैक्टर में	नाम खातेदार
1–	2–	3–	4–
कोटा, लाडपुरा	मानपुरा	खसरा नम्बर 31 रकबा 1.42 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 43 रकबा 1.08 हैक्टर में से 0.31 हैक्टर	घीसाराम व सुखपाल पि0 हरदेव हि0 3/4 बरा0 हरदेव पुत्र छौगा हि0 1/4 जाति गूजर निवासी कोलाना
		कुल किता 2 रकबा 2.50 हैक्टर में से 1.73 हैक्टर	

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। जिनका मेरें द्वारा परीक्षण करा दिया गया है। परीक्षण के उपरान्त लोक सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 05/11/2015 को करवाया गया। प्रसारित सार्वजनिक लोकसूचना के उपरान्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

(3) प्रस्तुत आवेदन पत्र के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप प्रपत्र–6 में रिपोर्ट हेतु सम्बंधित तहसीलदार, नगर विकास न्यास, कोटा को पत्र क्रमांक एफ–15/कृ.भू.रू./90–क/2015/885 दिनांक 02/11/2015 लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार न्यास के पत्रांक एफ–5/तहसील/2015/1749 दिनांक 10/11/2015 के द्वारा प्रपत्र–6 में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिसमें तहसीलदार न्यास द्वारा आवेदित आराजी का विवरण अंकित करते हुए आवेदित आराजी भू–उपयोग के अनुसार होने के कारण आराजी को धारा–90–क के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुशंषा की है।

F:\90-A file Folder\DS-III\90-A order new formet.docx

प्राधिकृत अधिकारी (उपसचिव-III) नगर विकास न्यास, कोटा

(4) इसी प्रकार निर्धारित प्रारूप प्रपत्र–8 में रिपोर्ट प्राप्ति हेतु श्रीमान् सचिव महोदय को पत्र क्रमांक एफ–15/कृ.भू.रू./90–क/2015/884 दिनांक 02/11/2015 लिखा गया। उक्त पत्र के अनुसरण में उप नगर नियोजक नगर विकास न्यास, कोटा का पत्र क्रमांक प्रारूप–8 एफ–7/डी.टी.पी./2015/1213 दिनांक 26/11/2015 से ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 31 रकबा 1.42 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 43 रकबा 1.08 हैक्टर में से 0.31 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 2.50 हैक्टर में से 1.73 हैक्टर की सहमति रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसके बिन्दु संख्या 4 अनुसार "संदर्भित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय दर्शित है आवेदन भी आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया है अनुमोदित ले–आउट प्लान ख0नं0 43,44 से पहुंच मार्ग उपलब्ध है।" तदानुसार 90–क के तहत कार्यवाही करने की अनुंशषा की है।

(5) अतः प्रकरण के परिक्षण उपरान्त आदेश दिया जाता है कि ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 31 रकबा 1.42 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 43 रकबा 1.08 हैक्टर में से 0.31 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 2.50 हैक्टर में से 1.73 हैक्टर भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, नगर विकास न्यास, कोटा पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(6) आवेदक द्वाराय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(7) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 7/12/2015 को पारित किया गया।

(मान सिंह)
आर.ए.एस
प्राधिकृत अधिकारी (उप सचिव –तृतीय)
नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक एफ–15/कृ.भू.रू./90–क/2015/ 961-09 दिनांक 3-12-2015

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :–

1 :– सचिव नगर विकास न्यास, कोटा।
2 :– वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा।
3 :– तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा को उपरोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरकर्ता को उसकी प्रति भेजने के लिए।
4 :– आवेदक मुख्तारआम श्री धनराज पुत्र श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मानपुरा कोटा जर्ये खातेदार श्री धीसाराम व सुखपाल पि. हरदेव एवं हरदेव पुत्र श्री छोगा निवासी देवनारायण मन्दिर केशवपुरा, कोटा

(मान सिंह)
आर.ए.एस
प्राधिकृत अधिकारी (उप सचिव –तृतीय)
नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2016/ 1157-58 दिनांक :- 5/1/2016

निमित्त :

श्री धनराज पुत्र श्री मांगीलाल जर्ये मु.आम श्री घींसाराम
गोपाल दुग्ध डेयरी, देवनारायण मन्दिर, केशवपुरा, कोटा।

विषय :- ले-आउट प्लान खसरा नम्बर 43, 44 ग्राम मानपुरा क्षेत्रफल 17300 वर्गमीटर की बाहरी विकास शुल्क एवज् मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान के तहत् विक्रय योग्य भूमि के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल की कीमत की राशि जमा कराने के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 16/12/2015 में उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया है। स्वीकृति की कार्यवाही से पूर्व टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अन्तर्गत निम्नानुसार राशि जमा कराई जाना अपेक्षित है -

(1) External Development Charges = @ 150/- Sqm
(आवेदित क्षेत्रफल = 17500 वर्गमीटर)
17300 Sqm.× Rs. 150 = 2595000/-

(2) मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान के तहत्
विक्रय योग्य भूमि के 10 % क्षेत्रफल की कीमत की राशि
आवासीय क्षेत्रफल = 110581 वर्गफीट का 10 % = 1027.704 वर्गमीटर
आरक्षित दर = 5000 प्रति वर्गमीटर
1027.704 Sqm.× Rs. 5000 = 5138520/-

कुल राशि = ₹ 81,33,520.00

(अक्षरे रुपये इक्यासी लाख तैंतीस हजार पांच सौ बीस मात्र)

1. अतः उपरोक्तानुसार राशि 1 माह में जमा करायें। राज्य सरकार के आदेश 11/5/11 के अनुसार उक्त बाहरी विकास शुल्क की राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर 20% की छूट देय होगी। उक्त आदेश के अनुसार आप द्वारा बाहरी विकास शुल्क की चार किश्तों में निर्धारण भी कराया जा सकता है। विलम्ब की स्थिति में 12% की दर से ब्याज देय होगा।
2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत जमा योग्य राशि पर छूट देय नहीं होगी।

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2016/ 1157-58 दिनांक :- 5/1/2016

प्रतिलिपि :

(1) कैशियर, नगर विकास न्यास, कोटा को भेजकर लेख है कि पत्र में उल्लेखित राशि नियमानुसार प्रार्थी द्वारा जमा कराये जाने पर जमा कर चालान की प्रति नियोजन शाखा को भिजवायें।

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

Babulal ji 1-8-2015 (329)

B-Block

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2017/ 1201 दिनांक :- 3 /07/2017

निमित्त :

श्री धनराज पुत्र श्री मांगीलाल जर्ये मु.आम श्री घीसाराम

गोपाल दुग्ध डेयरी, देवनारायण मंदिर, केशवपुरा, कोटा।

विषय :- खसरा नं0 31, 43 ग्राम मानपुरा क्षेत्रफल 17300 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान (आवासीय प्रयोजनार्थ) के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आपका आवेदन दिनांक 3/12/2015 के सन्दर्भ मे।

राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक एफ 3(77)न.वि.वि./3/2010 दिनांक 28.06.10 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं हेतु नीति 2010 (10 हैक्टेयर से कम) के अन्तर्गत आपके आवेदन के क्रम में ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 16/12/2015 में लिये गए निर्णयानुसार ले-आउट प्लान स्वीकृति उपरांत योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तो के साथ जारी किया जा रहा है -

(1) अनुमोदित योजना प्लान में उल्लेखित समस्त शर्तो की पालना सुनिश्चित की जानी है।

(2) नियमानुसार कृषि भूमि रूपान्तरण राशि न्यास कार्यालय में जमा करवानी होगी।

(3) पॉलिसी में उल्लेखित शर्तो के अनुसार भूखण्डों की बुकिंग, पट्टा/लीज डीड आदि की कार्यवाही की जावेगी।

(4) योजना में विकास कार्य उक्त तिथि से 6 माह में प्रारम्भ व 18 माह में पूर्ण करना होगा। विकास कार्य पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यास के संबंधित अधिशाषी अभियंता (तृतीय) की देखरेख में कराना होगा, निर्धारित समयावधि में मानदण्डों के अनसुार योजना के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण-पत्र लिया जावेगा, तथा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत 3 वर्ष तक रख-रखाव करना होगा। **यदि योजना में विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते है, तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।**

(6) भूखण्डों पर निर्माण न्यास से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करवाना होगा।

(7) स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेगें योजना में किसी प्रकार का संशोधन न्यास की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

(8) रैनवाहटर हारवेरिटंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जाने वाली योजना में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार सडकें, सीवर लाईन, नाले ओवरहेड, केबल्स् आदि के लिये सम्बन्धित संस्था को 'राईट आफ वे' दिया जावेगा।

(9) स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति जानकारी हेतु योजना स्थल पर बोर्ड पर लगाई जावें, जिसमें न्यास में रहन रखे गये भूखण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जावें।

(10) ले-आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित ड्रेन में सुचारू रूप से हो सके।

(11) आन्तरिक विकास कार्य के पेटे 12.5 % विक्रय योग्य भूखण्ड (भूखण्ड संख्या **B-13, B-14, B-35, B-36, B-61, B-62, B-83, B-84 एवं B-93 से B-100** (16 भूखण्ड) कुल क्षेत्रफल 13955.5 वर्गफीट) आरक्षित किये जाते हैं, जिनकी बुकिंग न्यास द्वारा भूखण्ड रहनमुक्त करने के उपरांत ही की जा सकेगी। **उक्त भूखण्ड नगर विकास न्यास में रहन है एवं उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि बैचान किया जाना पाया जाता है तो स्वीकृति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।**

(12) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत् टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।

(13) समय-समय पर राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।

(14) टाउनशिप पॉलिसी-2010 में उल्लेखित समस्त शर्तो की पालना करनी होगी।

(15) उपरोक्तानुसार शर्तो की पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

(16) आवेदक/विकासकर्ता को Rajasthan Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 के अन्तर्गत बनाये गए Rajasthan Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 के अन्तर्गत Real Estate Regulatory Authority, Rajasthan, Jaipur में उक्त प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एवं उपरोक्त नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना की जानी होगी। अतः Real Estate Regulators Authority में रजिस्ट्रेशन करवाकर न्यास में प्रस्तुत करें। उक्त प्रोजेक्ट का RERA में रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत ही भूखण्डों के विक्रय इत्यादि की कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त प्रोजेक्ट का Real Estate Regulators Authority में पंजीयन नहीं कराने व उपरोक्त नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में यह स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

संलग्न :- स्वीकृत ले-आउट प्लान

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

दिनांक :- 3/07/2017

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2017/

प्रतिलिपि :-

1- उप सचिव-द्वितीय नगर विकास न्यास, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मोगेज डीड संपादित करवायें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत मुक्त किये जा सकेगें। उक्त प्रोजेक्ट का Real Estate Regulatory Authority, Rajasthan, Jaipur में रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत ही पट्टे जारी किये जावें।

2- अधिशाषी अभियंता (तृतीय) को प्रेषित कर लेख है कि योजनाा का समय-समय पर मौका निरीक्षण करें एवम् समय-समय पर विकास कार्य की जांच कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सुनिश्चतता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

KOTA-I
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

No. : 2015007215 Dated : 18/09/2015
er Name : GHISARAM Face Value : 0
nter Address : AT PRESENT GOPAL DOODH DIARY DEV NARAYAN MANDIR KESHAVPURA K
ent Type : POWER OF ATTORNEY (SPECIAL)
ment Name : DHANRAJ, MANPURA TEH LADPURA KOTA
ument S.No. : 2015007687 Stamp Value : 500

rdinary Registration Fee	: 500	Commiss...	: 0
opy/Scanning/Inspection Fee	: 200	Custo...	: 0
ee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
ertified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty ...	: 0
urcharge on Stamp Duty	: 0		
ate Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 700

Already Paid

-Stamp No : / Amount : 0

Paid) - DD No. : / Amount : 0
DD Drawn Bank : /

...) - EGRAS GRN No. : / Amount : 0
Deposit Bank : / Date :

Paid) - E-Stamp Id No. : / Amount : 0
E-Stamp Date :

Paid) - E-Mitra Token No. : / Amount : 0
E-Mitra Token Date :

Paid) - SHCIL Recpt No. : 1509164 / Amount : 700
SHCIL Receipt Date : 18/09/2015

Paid) - Cash Recpt No. : / Amount : 0
Date :

Amount Rs. Seven Hundred only

ashier

Sub Registrar, KOTA

आज दिनांक 18 माह September सन् 2015 को 13:33 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री GHISARAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARDEV
उम्र 55 वर्ष, जाति GURJAR व्यवसाय FARMER
निवासी AT PRESENT GOPAL DOODH DIARY DEV NARAYAN MANDIR KESHAVPURA KOTA
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

घीसाराम

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता (2015007687) (POWER OF ATTORNEY (SPECIAL))

हस्ताक्षर उप पंजीयक, KOTA

रसीद नं0 2015007215 दिनांक 18/09/2015
पंजीयन शुल्क रू0 500/–
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/–
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/–
अन्य शुल्क रू0 0/–
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 0/–
सरचार्ज 0/–
कुल योग रू0 700/–

(2015007687) उप पंजीयक, KOTA
(POWER OF ATTORNEY (SPECIAL))

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1-GHISARAM/HARDEV
Age:55, Caste-GURJAR
Ocu.-FARMER
R/O-AT PRESENT GOPAL DOODH DIARY DEV NARAYAN MANDIR KESHAVPURA KOTA

2-SUKHPAL/HARDEV
Age:39, Caste-GURJAR
Ocu.-FARMER
R/O-AT PRESENT GOPAL DOODH DIARY DEV NARAYAN MANDIR KESHAVPURA KOTA

3-HARDEV/CHHOGA
Age:75, Caste-GURJAR
Ocu.-FARMER
R/O-AT PRESENT GOPAL DOODH DIARY DEV NARAYAN MANDIR KESHAVPURA KOTA

(And Claimant)

1-DHANRAJ/MANGILAL
Age:23, Caste-GURJAR
Ocu.-FARMER
R/O-MANPURA TEH LADPURA KOTA

ने लेख्यपत्र POWER OF ATTORNEY (SPECIAL)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 ———— पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे सें रू0 ———— पूर्व में ————
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री SURESH
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KISHANLAL उम्र 28 वर्ष
जाति MALI व्यवसाय BUSINESS
निवासी MANDIPADA BORKHEDA KOTA

2. श्री/श्रीमती/सुश्री FIROZ KHAN
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ALLAHUDDIN उम्र 33 वर्ष
जाति MUSLIM व्यवसाय BUSINESS
निवासी KALATALAB KOTA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2015007687) उप पंजीयक, KOTA
(POWER OF ATTORNEY (SPECIAL))

आज दिनांक 18/09/2015 को
पुस्तक संख्या 4 ज़िल्द संख्या 96
में पृष्ठ संख्या 17 क्रम संख्या 2015000159 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 100
के पृष्ठ संख्या 167 से 176 पर
चस्पा किया गया।

(2015007687) उप पंजीयक, KOTA
(POWER OF ATTORNEY (SPECIAL))

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED R

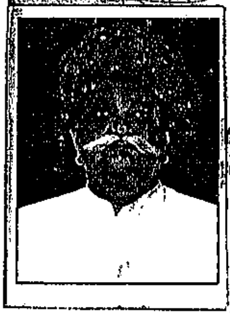

राजस्थान RAJASTHAN C 012967

31 AUG 2015

Sukhpal हरदेव धनराज घीसाराम

—:: मुख्तार नामा खास ::—

हमकिः—

1—घीसाराम उम्र 55 वर्ष, सुखपाल उम्र 39 वर्ष पिसरान श्री हरदेव जी,

2—हरदेव उम्र 75 वर्ष आत्मज श्री छोगा जी जाति गूजर निवासी कोलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी गोपाल दूध डेयरी, देव नारायण मन्दिर, केशवपुरा कोटा राजस्थान के है।

जो कि हम मुकिरान के संयुक्त खाते, कब्जे कांश्त व पुरानी खतौनी संख्या 17 नयी खतौनी संख्या 24 की आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 1.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 43 रकबा 1.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.9800 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.4800 हैक्टर किसम नहरी प्रथम वाके ग्राम मानपुरा पटवार हल्का नयानोहरा भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान मे स्थित है। उक्त आराजीयात मे हम मुकिरान नम्बर 1 घीसाराम, सुखपाल का 3/4 हिस्सा व मुकिर नम्बर 2 हरदेव का 1/4

हस्ताक्षर मुकिर Sukhpal हस्ताक्षर मुख्तार खास

हरदेव घीसाराम धनराज

रजि० क्रमांक 8361
नाम मुद्रांक विक्रेता :- पवन कुमार जैन
अनुज्ञा पत्र सं० [illegible] दि० 18/9/15 रु० [illegible]
मुद्रांक क्रेता का नाम [illegible]
पिता का नाम [illegible] [illegible]
पता [illegible]
प्रयोजन [illegible]
इसके क्रय [illegible]
[illegible]

स्टाम्प क्रेता के हस्ता० [illegible]

विक्रेता के हस्ता०

हिस्सा निहित चला आ रहा है। जिस पर हम मुकिरानका ही मालिकाना कब्जा व अधिकार चला आ रहा है। जिसको रहन, बैय, दान, वसीयत व हर प्रकार के हस्तान्तरित आदि किये जाने का हमको पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह कि हम मुकिरान अपने अन्य कार्यो मे अत्यधिक व्यस्त रहते है और उक्त आराजी बाबत जो समय समय पर आवश्यक कार्यवाहीया करना होती है उन्हे किये जाने का समय नही मिल पाता है इसलिए हम मुकिरान उक्त पुरानी खतौनी संख्या 17 नयी खतौनी संख्या 24 की आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 1.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 43 रकबा 1.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.9800 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.4800 हैक्टर किसम नहरी प्रथम वाके ग्राम मानपुरा पटवार हल्का नयानोहरा भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान बाबत अपनी ओर से श्री धनराज आयु 35 साल आत्मज श्री मांगी लाल जी जाति गूजर निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान को अपना मुख्तार खास नियुक्त करते है और लिखे देते है कि मुख्तार खास उक्त आराजी को विभिन्न भूभागो मे विभक्त करे, नगर विकास न्यास सम्बन्धित होने वाली कार्यवाहीयां करे, 90 ए करावे, किसी भी वाद विवाद को हो जाने पर सुलझावे, कानूनी कार्यवाहीयां करे, वकील नियुक्त करे, प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, दावा, जवाबदावा, अपील निगरानी, राजीनामा आदि करे। यानि कि नगर विकास न्यास/न्यायालय सम्बन्धित वह समस्त कार्यवाहीया करे जिन्हे किये जाने का हमको पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मुख्तार खास द्वारा की गई समस्त कार्यवाहीया हमारी ओर से की गई कार्यवाहीयां मानी जावेगी जिससे हम पूर्णतया पाबन्दव बाध्य रहेंगे।

लिहाजा यह मुख्तार नामा खास हमने पूर्ण होश हवास स्वस्थ चित्त बिना किसी नशे पत्ते के स्टाम्प कीमती 500/-रुपये पर आलेखित कर दिया है जो कि सनद रहे समय पर काम आवे तहरीर तारीख 18-09-2015

SURESH

1-गवाह [illegible]

हस्ताक्षर मुकिर

Sukhlal

S N GAUTAM 2-गवाह [illegible]

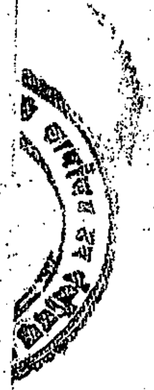

B ब्लॉक

खाता संख्या : 11342040000010
चतुर्थ प्रति (नगर विकास न्यास के लिए)

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

विस्तार पटल नगर विकास न्यास, कोटा

चालू खाता जमा पर्ची

क्र. सं. 6596 दिनांक 09/10/2015

रु. 50 हजार पर PAN No. होना आवश्यक है।

खाता पृष्ठ

नगर विकास न्यास के खाते में जमा कराने हेतु

श्री [illegible]

पता [illegible]

भूखण्ड संख्या [illegible] 31, 43

योजना [illegible]

विवरण	रुपये	पैसे
क) जमीन की कीमत		
ख) किराया [illegible]	135155	00
ग) ब्याज [illegible]		
घ) अमानत राशि [illegible]		
च) नक्शा		
छ) जुर्माना [illegible]	[illegible]	00
ज) शहरी [illegible] ब्याज		
झ) अन्य		
ड) चालू खाता		
	147155	00

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा नगर विकास न्यास, कोटा
30 OCT 2015
नकद प्राप्त किया

रुपये [illegible] पचपन [illegible] रु

बैंक मोहर

BKIDH1713961038S

खाता सख्या : 11342040000010
तृतीय प्रति (बैंक स्टेटमेन्ट के साथ)

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

शाखा : नगर विकास न्यास, कोटा

चालू खाता जमा पर्ची

क्र. सं. 721

दिनांक 19/5/17

रु. 50 हजार और अधिक राशि पर भूखण्डधारी के आयकर पेनकार्ड की स्वहस्ताक्षर फोटो कॉपी अनिवार्य रुप से संलग्न करें।

श्री [illegible]

पता [illegible]

[illegible]

भूखण्ड सं. [illegible] योजना [illegible]

विवरण	रुपये	पैसे
क) जमीन की कीमत		
ख) किराया		
ग) ब्याज [illegible]	513825/-	
घ) अमानत राशि [illegible]		
च) नक्शा ED C [illegible]	2076001/-	
छ) जुर्माना		
ज) शहरी मूल्यांकन [illegible]	881131/-	
ब्याज		
झ) अन्य		
ट) चालू खाता		
	3095651/-	

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
शाखा नगर विकास न्यास कोटा
19 MAY 2017
अन्तरण / TRANSFER

रुपये [illegible]

[illegible]

जमाकर्ता के हस्ता.

बैंक मोहर

13KFDH17172399026

खाता संख्या : 11342040000010

प्रथम प्रति (जमाकर्ता के लिए)

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

शाखा : नगर विकास न्यास, कोटा

चालू खाता जमा पर्ची

क्र. सं. 1591 दिनांक 21/6/17

रु. 50 हजार और अधिक राशि पर भूखण्डधारी के आयकर पेनकार्ड की स्वहस्ताक्षर फोटो कॉपी अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

श्री ....

पता ....

भूखण्ड सं. .... योजना ....

विवरण	रुपये	पैसे
क) जमीन की कीमत		
ख) किराया		
ग) ब्याज		
घ) अमानत राशि		
च) नक्शा		
छ) जुर्माना		
ज) शहरी मूल्यांकन ब्याज	5360371	
झ) अन्य		
ड) चालू खाता		
	5360371	

नगर विकास न्यास कोटा
22 JUN 2017
TRANSFER

रुपये ....

ऑनलाईन फण्ड ट्रांसफर हेतु सूचना पीछे अंकित है।

जमाकर्ता के हस्ता. बैंक मोहर

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

BHZ/2601573

निर्वाचक का नाम ELECTOR'S NAME	: धन राज : DHAN RAJ
पिता का नाम FATHER'S NAME	: मांगुजी : MANGUJI
लिंग / Sex	: पुरुष /MALE
जन्म की तारीख DATE OF BIRTH	: XX/XX/1980

धनराज

पता BHZ/2601573

1, तलाई के पास एवं पीछे मानपुरा
तहसील – लाडपुरा
जिला - कोटा (राज.)

Address.
1, TALAI KE PAS AIVAN PICHHE
MANPURA
TEHSIL-LADPURA
DISTT. -KOTA (RAJ.)

Date 14/06/2008

108 – लाडपुरा निर्वाचन क्षेत्र के
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of the
Electoral Registration Officer
for 108-LADPURA Constituency

पता बदलने पर नए पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने तथा उस पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए संबंधित फार्म में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें।
In case of change in address, mention this Card No. in the relevant form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

108/15/8573

आयकर विभाग   भारत सरकार
INCOME TAX DEPARTMENT   GOVT. OF INDIA

DHAN RAJ

MANGUJI

10/09/1980

Permanent Account Number

BBVPR3850A

धनराज

Signature

29062011

धनराज

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाएं:
आयकर पैन सेवा इकाई, एन एस डी एल
तीसरी मंजील, सफायर चेंबर्स,
बानेर टेलिफोन एक्सचेंज के नजदीक,
बानेर, पुना – 411045

If this card is lost / someone's lost card is found, please inform / return to:
Income Tax PAN Services Unit, NSDL
3rd Floor, Sapphire Chambers,
Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411 045

Tel: 91-20-2721 8080, Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: tininfo@nsdl.co.in

प्रपत्र पी-26(ब
(देखिये नियम 153 र
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- मानपुरा
पटवार हल्का :- नयानोहरा
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- रायपुरा
तहसील :- लाडपुरा
जिला :- कोटा
काश्तकार का नाम/पिता का नाम
जाति निवास के पते सहित :-

सम्वत :- 2071 - 2074
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 116
खाता संख्या पुराना :- 105
नगर विकास न्यास कोटा (धारा 90 क) आवासीयं प्रयोजनार्थ नामा.स. 273, 287, 295, 326, 329, 330, 331,332
(नामा यूनिक स.: 2601-3630)

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा सदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
13/1	0.1300	नहरी प्रथम	0.1300	4.16			
13/2	0.1300	नहरी प्रथम	0.1300	4.16			
15	0.9300	नहरी प्रथम	0.9300	29.76			
25/1 पश्चिमी दक्षिणी	0.1300	नहरी प्रथम	0.1300	4.16			
31	1.4200	नहरी प्रथम	1.4200	45.44			
38	1.5000	नहरी प्रथम	1.5000	48.00			
38/1	0.5700	नहरी प्रथम	0.5700	18.24			
43	1.0800	नहरी प्रथम	1.0800	34.56			
44	0.9800	नहरी प्रथम	0.9800	31.36			
50	0.4800	नहरी प्रथम	0.4800	15.36			
224	1.5400	नहरी प्रथम	1.5400	49.28			
225	0.7600	नहरी प्रथम	0.7600	24.32			
225/1	0.5900	नहरी प्रथम	0.5900	18.88			
227	0.6400	नहरी प्रथम	0.6400	20.48			
227/278	0.6200	नहरी प्रथम	0.6200	19.84			
273/25	1.2300	गै.मु.आबादी	1.2300	0.00			
कुल खसरे - 16	12.7300		12.7300	368.00			

प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
का उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
लेपि जारी करने की तिथि :- 04/07/2017
न्तरकरण अद्यतन दिनाँक:- 25/02/2015

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26(बी)

ग्राम का नाम :-	मानपुरा	पटवार हल्का	नयानोहरा	भू.अभि.नि.क्षेत्र	रायपुरा
तहसील :-	लाडपुरा	जिला :-	कोटा	दिनांक :-	22/07/2015
सम्वत -	2071 - 2074	वास्तविक सम्वत :-	2071		
[illegible] :-	हैक्टेयर				

खाता(खतौनी) नया	खाता(खतौनी) पुराना	भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		सिंचाई के साधन	लगान दर	लगान रकम	नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ब्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
24	17	राज.	चिम्मनराम व मुखपाल पि. हरदेव हि.3/4 हि	31	1.4200	नहरी प्रथम	1.4200		32	45.44			
		[illegible]	वग. हरदेव आत्मज खेमा हि.1/4 चावि मूजर	43	1.0800	नहरी प्रथम	1.0800		32	34.56			
			नि.कोलन्दा नामा.क्र. 261	44	0.9800	नहरी प्रथम	0.9800		32	31.36			

कुल :	कुल खसरा :3	कुल क्षेत्रफल : 3.4800	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल		111.36
			नहरी प्रथम	3.4800	111.36

[illegible]

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रतिलिपि में दिनांक तक के समस्त परिवर्तन समाविष्ट कर दिये गये हैं।

प्रतिलिपि क्रमांक- 26011057-8439

प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक- 22/07/2015

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी ई-धरती/सूचना ज्ञाता केन्द्र, तहसील लाडपुरा

हस्ताक्षर एल. आर. के. [illegible]

तहसील लाडपुरा

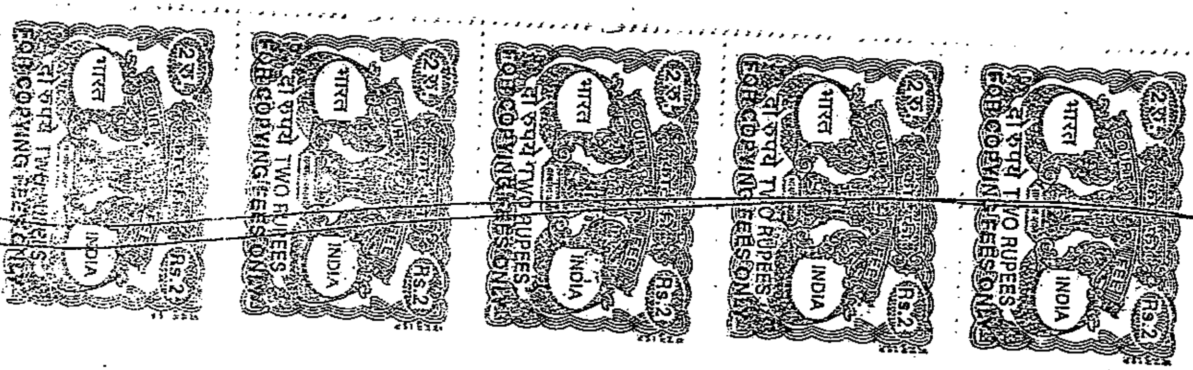

Sukhdev

पीसाराम

मानचित्र

ग्राम - मानपुरा

तहसील - लाडपुरा

जिला - कोटा (राज०)

सम्वत् १९८८

पैमाना - १ इंच = ४० गज

39

26|10|15

26|10|15

20